

# गृह (ग्रुप-6) विभाग

मान्त्रिक सचिवालय, राजस्थान

डायरी नं. 1379

दिनांक 22/5/18

क्रमांक प.16(2)गृह-9/2018

राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप-9) विभाग

जयपुर, दिनांक:-

15 MAY 2018

## अधिसूचना

यतः राज्य सरकार यह समझती है कि जिला पाली तहसील रानी के ग्राम कीरवा के खसरा नम्बर 63 रकबा 0.0016 हैक्टेयर में इण्डियन ऑयल कॉ.लि. पश्चिमी क्षेत्र पाईप लाइन्स के एच.ओ.वी स्टेशन जिसके क्षेत्र का विवरण नीचे वर्णित है, से संबंधित जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या इसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा।

इसलिए अब राज्य सरकार एतदद्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप-खण्ड (घ) सपष्टित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 21/20/62 पोल (I) दिनांक 04.05.1963 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ऑयल कॉ.लि. पश्चिमी क्षेत्र पाईप लाइन्स के एच.ओ.वी स्टेशन को उक्त अधिनियम के तहत सुरक्षा की दृष्टि से निम्नांकित सीमाओं वाले क्षेत्र को प्रतिषिद्ध स्थान घोषित करती है।

## क्षेत्र का विवरण

क्र. सं.	नाम तहसील	ग्राम	भूमि ख.नं.	रकबा	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1.	रानी	कीरवा	63	0.0016 हैक्टेयर	खसरा नम्बर 61 गै.मु. वेरा (चतराराम पुत्र आशाराम, जेठराम, केनाराम, मोतीराम पुत्र श्री आसाराम सिरवी)	खसरा नम्बर ग्राम बालराई की सीमा	खसरा नम्बर 70 गै.मु. नदी	खसरा नम्बर 64, 65, 66 खातेदार सोनाराम पुत्र हकाराम कुम्हार, उदाराम पुत्र सवाराम मेणा निवासी गुडा एन्दला

राज्यपाल की आज्ञा से,

(चेतन देवडा)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
- जिला कलक्टर, पाली।
- निदेशक, लेखन सामग्री एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर दिनांक ..... के असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ मय सी.डी।
- मुख्य प्रचालन प्रबन्धक, इंडियन ऑयल का. लि., पश्चिमी क्षेत्र पाईप लाइन्स, ग्राम कोट तहसील बाली जिला पाली 306701।
- उप शासन सचिव गृह ग्रुप-6 विभाग।
- रक्षित पत्रावली।

15 MAY 2018

शासन संयुक्त सचिव  
गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग